न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 27 / 2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/ 00029)

नत्थुराम पुत्र स्व. रामलाल जाति मेधवंशी निवासी ग्राम दुलरासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. सायरमल पुत्र स्व. रामलाल
2. श्यामलाल पुत्र स्व. नत्थुराम
   जाति मेधवंशी निवासीगण ग्राम दुलरासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू (राज.)
3. सरपंच ग्राम पंचायत भानूदा तहसील रतनगढ जिला चुरू
4. तहसीलदार रतनगढ जिला चुरू

रेस्पोडेंन्ट्स

5. राधा देवी पुत्री स्व. रामलाल पत्नी चिमनाराम जाति मेधवंशी निवासी ग्राम दुलरासर तहसील सरदारशहर हाल निवासी ग्राम बरजांगसर तहसील रतनगढ जिला चुरू (राज.)
6. गंगा पुत्री स्व. रामलाल पत्नी श्री हरिराम जाति मेधवंशी निवासी ग्राम दुलरासर हाल निवासी ग्राम राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चुरू (राज.)

गौण रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री ओम प्रकाश भादू – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओम प्रकाश चाण्डक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 18.05.2022

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.)रतनगढ के निर्णय दिनांक 18.09.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 श्यामलाल पुत्र नत्थूराम ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रतनगढ में प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत के मुताबीक नामान्तकरण दर्ज करवाने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार रतनगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.09.2019 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम भानूदा में स्थित खं. नं. 504 तादादी 33–17 बीघा भूमि के खातेदार रामलाल पुत्र रावताराम जाति मेधवंशी में वसीयत ग्रहीता के पक्ष में

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वसीयत निष्पादित की है प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3, 5, 6 के निमित पहले साधारण तथा बाद में रजिस्ट्र्ड नोटिस जारी करने के बाद भी उपस्थित नही हुए। इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही (Ex party) अमल में लाई जाती है।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट के पिता स्व. रामलाल पुत्र रावताराम के नाम से एक कृषि भूमि वाके रोही ग्राम भानूदा बीदावतान में खसरा नं. 504 तादादी 33 बीधा 17 बिस्वा अर्थात 8.5616 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 19.07.2017 को बीमारी की वजह से हो चुकी है। पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वारिसान के नाम से ग्राम पंचायत भानूदा के द्वारा नामान्तरण सं. 2085 दिनांक 20.09.2017 को स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट के पिता द्वारा उक्त कृषि भूमि का बटवारा अपने जीवनकाल में करते हुए हम दोनो भाईयो नत्थुराम व सायरमल को अलग –अलग हिस्से काश्त करने हेतु दियें। जिस पर हम सन् 1999 से काबिज काश्त चले आ रहे है। हम दोनो भाईयो के हिस्से के बीच पक्की सीव भी बनी हुई है। विरास्तन नामान्तरण सं. 2085 ग्राम पंचायत भानूदा द्वारा मजमें आम में मौका व कब्जा काश्त के आधार पर सभी वारिसान के नाम स्वीकृत किया है। इस नामान्तकरण के समय या इससे पूर्व कभी भी रेस्पोडेन्ट ने किसी प्रकार की वसीयत का कोई जिक्र नही किया और ना ही ऐतराज किया और ना ही वसीसत के सम्बन्ध मे हमारे पिता ने कभी कोई जिक्र किया था। रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तकरण सं. 2085 के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के यहा अपील प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 31.01.2019 को पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार रतनगढ को रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना नही कर आदेश जैर अपील पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामिल भी विधिवत् तरीके से

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नही करवाई गई और अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये मन माने तौर पर एक तरफा रेस्पोडेन्ट सं. 1 एव 2 के नाम से नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया जबकि तहसीलदार द्वारा अपने पत्र कमांक 20191 दिनांक 8.4.19 को हल्का पटवारी भानूदा से वादगत भूमि की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके पर कब्जे की स्थिति की रिपोर्ट मांगी जिस पर हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा गया कि उक्त भूमि रामलाल पुत्र रावताराम खातेदार है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण सं. 2085 दिनांक 20.09.2017 को विरास्तन स्वीकृत हो चुका था, ऐसे में हल्का पटवारी की रिपोर्ट पूर्णतया मिलीभगत कर एक तरफा तौर पर साबित होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश 18.09.2019 में लिखा कि वसीयत के उल्लेखित गवाह के शपथ पत्र लिये गये है, साथी ही लिखा गया कि साक्षी भोजाराम पुत्र टोडाराम की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में तहसीलदार ने किस साक्ष्य का शपथ पत्र लिया और किसके साक्ष्य से प्रभावित होकर आदेश जैर अपील पारित किया। गवाह के शपथ पत्र पेश नही किये, जिनके पक्ष में वसीयत है उनको गवाह पेश किया तथा शपथ पत्र प्रमाणित भी नही थें ऐसी स्थिति में वसीयत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिद्व नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.2019 अपास्त किया जावे और विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नही है। अपीलान्ट ने तहसीलदार रतनगढ के आदेश दिनांक 18.09.2019 के विरूद्व अपील पेश कर नामान्तकरण सं. 2085 को निरस्त करने का अपील मीमो पर कथन किया है। जबकि तहसीलदार रतनगढ के आदेश दिनांक 18.09.2019 से नामान्तकरण सं. 2085 खारिज नही किया गया है, नामान्तकरण सं. 2085 उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के आदेश दिनांक 31.01.2019 से अपास्त किया गया है। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के आदेश दिनांक 31.01.2019 के

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरूद्व यह अपील पेश नही की है। आज की तारीख में उपखण्ड अधिकारी रतनगढ का आदेश अंतिम है, अपीलान्ट ने उस आदेश को चेलेन्ज भी नही किया है। साथ ही अपीलान्ट ने अपील के पैरा सं. 8 में कथन किया कि मुझे सुनवाई का अवसर नही दिया, पक्ष रखने हेतु नोटिस तक जारी नही किया, एक तरफा तौर पर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट के कथन अनुसार प्रकरण धारा 135 (1) का मामला बनता है। इसके लिए अपीलान्ट को तहसीलदार के आदेश के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी के यहा अपील पेश करनी चाहिए, इस न्यायालय में अपील लाई नही करती है। अपीलान्ट की अपील मेन्टेनेबल के आधार पर खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने तहसीलदार रतनगढ में प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत के मुताबीक नामान्तकरण दर्ज करवाने का निवेदन किया। वसीयत कर्ता रामलाल द्वारा दिनांक 4.3.1977 को जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था, उक्त भूमि की वसीयत की थी जो उनकी स्वअर्जीत भूमि थी। वसीयत रजिस्ट्र्ड थी। अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय से रजिस्ट्र्ड वसीसत को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नही की है। कानून का यही सिद्वान्त है कि कोई बिना वसीयत के मरता है तो वारिसान इंतकाल दर्ज होगा, परन्तु इस प्रकरण में रजिस्ट्र्ड वसीयत है। जब तक वसीयत निरस्त नही होती तब तक वारीसानो के नाम इंतकाल दर्ज नही किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील इसी आधार पर खारिज की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में SUPREME COURT OF INDIA 2019 (2) AIR BOMBAY का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट ने तहसीलदार रतनगढ के आदेश दिनांक 18.09.2019 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की है जिसके द्वारा तहसीलदार रतनगढ ने वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश रेस्पोडेन्ट सं. 2 के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली दर्ज कर सुनवाई करते हुए पारित किये है। प्रार्थना पत्र के साथ (1) फोटो प्रति विक्रय पत्र

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 4.3.1977 (2) फोटो प्रति वसीयतनामा दिनांक 16.8.2003 (3) फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामलाल (4) फोटो प्रति निर्णय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है। इस प्रकार उक्त प्रकरण धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की श्रेणी में आने के कारण इसकी प्रथम अपील धारा 75 एल आर एक्ट के अन्तर्गत अदालत वाला मे संधारण योग्य है। तहसीलदार रतनगढ के यहा पर यह प्रकरण दिनांक 13.03.2019 को दर्ज हुआ इससे पूर्व ग्राम भानूदा बीदावतान के खं. नं. 504 तादादी 33 बीघा 17 बिस्वा के वारिसान नामान्तकरण सं. 2085 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के निर्णय दिनांक 31.01.2019 के द्वारा प्रकरण को तहसीलदार रतनगढ को उभय पक्ष को सुनकर आदेश पारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया, परन्तु तहसीलदार रतनगढ की पत्रावली के अनुसार जायज वारिसान को जरिये नोटिस तलब नही किया गया, ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के उभय पक्ष को सुनने का निर्णय होते हुए भी तहसीलदार रतनगढ द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि कायम रखने योग्य नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रतनगढ का निर्णय दिनांक 18.09.2019 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार रतनगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, पुनः निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को लिखवाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया।

(ए.एल.गौड़)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर